न्यायालय उपजिलाधिकारी, मीरगंज, बरेली।

वाद संख्या 211/07–08

सरकार — बनाम—— लेट अमरनाथ तथा आनन्द ट्रस्ट
ग्राम कुरतरा परगना बरेली तहसील मीरगंज बरेली
धारा 143 जेड0ए0एल0आरए एक्ट

## आदेश

प्रस्तगत वाद तहसीलदार मीरगंज की आख्या दिनांक 07.07.2008 के आधार पर जो0जअवि0 एवं भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम 135–1 के अन्तर्गत प्रेषित की गई। दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मीरगंज ने अपनी जांच आख्या में अवगत कराया है कि प्रस्तगत आराजी स्थिति ग्राम कुरतरा परगना बरेली के गाटा संख्या 1115 रकबा 2–138 हे0, गाटा संख्या 1118 रकबा 0–592 हे0, गाटा 1116 रकबा 0–082 हे0 व गाटा संख्या 1120 मि. रकबा 4–466 हे0 भू–राजस्व 60 रु0 के अनुसार वर्त्तमान में भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है इस भूमि पर संस्था ए0ए0म0 इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेन्ट रतीबीज के नाम से संस्थान का निर्माण हो रहा है। वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है। इस सम्बन्ध में अमरनाथ आनन्द द्वारा प्रार्थना पत्र, शपथ–पत्र, विक्रय पत्र की फोटो प्रति व ट्रस्ट के कागजात प्रस्तुत किये है। अतः प्रार्थी अमरनाथ आनन्द ट्रस्ट द्वारा सचिव संजय आनन्द पुत्र स्व0 अमरनाथ आनन्द निवासी 35ए/8, रामपुर बाग बरेली का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त भूमि उ0प्र0जअवि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 143 के नियम 135 के अन्तर्गत भूमि अकृषिक/शिक्षण कार्य हेतु घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से विदित है कि उक्त आराजी ट्रस्ट के प्रयोजन में आ रही है। इसलिये तहसीलदार मीरगंज की आख्या दिनांक 07.07.2008 के आधार पर प्रस्तगत आराजी को अकृषिक/शिक्षण कार्य हेतु घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः तहसीलदार मीरगंज की आख्या/अनुसार जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ग्राम कुरतरा परगना बरेली तहसील मीरगंज बरेली के खाता संख्या 229 के गाटा संख्या 1115मि. रकबा 2–138 हे0 व खाता संख्या 20, गाटा संख्या 1118 रकबा 0–592 हे0 व खाता संख्या 415 गाटा संख्या 1120मि0 रकबा 4–466 हे0 व गाटा संख्या 1116 रकबा 0–082 हे0 कुल क्षे. 7–278 हे0 भू–राजस्व 60रु0 के अनुसार अकृषिक/शिक्षण कार्य हेतु घोषित किया जाता है तथा जअवि0अधि0 की धारा 145 एवं तद्विषयक नियमावली के नियम 137 के अन्तर्गत आदेश दिये जाते है कि आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक मीरगंज को इस आशय के साथ भेजी जाये कि वह प्रस्तगत आराजी को निःशुल्क अकृषिक पंजीकृत करके एक प्रति इस न्यायालय को वापस करें। तदुपरान्त खतौनी में प्रविष्टि हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपजिलाधिकारी,
मीरगंज।

For LATE AMAR NATH ANAND TRUST
Sanjay Anand
SECRETARY